# James a manage control of the contro

#### Jawaharlal Nehru Smriti Government Post Graduate College Shujalpur, Distt. Shajapur (M.P.)

#### ACCREDITED Grade 'B' by NAAC

Email: hegjnscshushg@mp.gov.in

Phone No. 07360-244358

Website: https://jnspgcollegeshujalpur.org/


#### **DVV CLARIFICATIONS – METRIC NO. 6.2.2.**

#### **INDEX OF THE DOCUMENTS UPLOADED**

Question No.3. : Page No. 2

Question No.6 : Page No. 3 to 20









## POLICY DOCUMENT FOR E-ADMISSION (UNDER E-GOVERNANCE)

#### ENGLISH RENDERING OF THE HINDI ORIGINAL

# OFFICE OF THE PRINCIPAL, DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION, MADHYA PRADESH, BHOPAL

ONLINE ADMISSION

**ACADEMIC YEAR 2013-14** 

**FOR** 

APPLICANTS IN THE FIRST SEMESTER

### **INSTRUCTION MANUAL**





For applicants desirous of online admission in the first semester of graduation/post-graduation in government/non-government colleges of the state

#### Instruction manual

Fair, transparent, simple and time-bound online central admission process for admission in the first semester of undergraduate and postgraduate in government and non-government colleges of Madhya Pradesh, while ensuring compliance of the academic calendar issued for the academic session 2013-14. It has been implemented with the technical support of I.C. Under this, applicants desirous of admission in the first semester of graduation/postgraduation will be able to get admission. Applicants should read this instruction manual before applying for admission on-line.

Study them thoroughly, so that they do not face any kind of inconvenience.

Online application form is available for applicants on the portal of Higher Education Department <a href="http://mhighereducation.nic.in">http://mhighereducation.nic.in</a>. For admission in colleges and courses conducted in them, registration will have to be done and after that document verification will have to be done. The applicant has to first fill his/her application online and after that by getting online challan or through internet banking Rs. 100/- registration fee has to be paid. After that, you will have to go to any government college in the state and get all your necessary documents verified. If the documents are not verified / the registration fee is not deposited, the application will automatically be considered canceled.

Applicants can fill the online application form through internet through help centers located in their home government and non-government colleges or through any internet cafe. The fee at the help centers located in the colleges is Rs. Facility to fill application is available on payment of Rs.10/-. No agency has been authorized by the department for this work.

Before filling the application, the applicant should thoroughly study the "Admission Guidelines 2013-14" which is available on the department's website <a href="www.highereducation.mp.gov.in">www.highereducation.mp.gov.in</a> and portal, so that it will be easier for them to fill the application. Courses conducted, their code numbers, seats available and fee

Other information is also available on the portal. Applicant college and course selection very carefully

Do it with understanding. Keep all the necessary documents related to you ready in advance.

Merely on the basis of online registration and verification of documents, no candidate will get the right of admission, but at the time of admission, the applicant will be eligible for admission only if the required original certificates are found completely correct and according to the rules.



Therefore, before registering online, the applicant should ensure from the Admission Guidelines 2013-14 and the concerned university whether he/she is eligible for admission or not.

The online admission process will be completely transparent, on the basis of merit and preference presented by the applicants. Applicants can get all the necessary information from the online module before submitting the online application form.

The important points of the on-line admission process are as follows

1. Online for applicants on the portal of Higher Education Department http://mphighereducation.nic.in

Application forms will be available. The last date for submission of on-line applications is 20 June 2013. 2. Click on the Counseling Menu of the applicant portal http://mhighereducation.nic.in from which the applicant can fill the online application. Before submitting the online application, click on the Main Menu and enter all other desired information in the application form through various links, such as information about colleges and courses taught in them, their code numbers, surcharge for admission.

Information about certificates to be obtained and payable surcharge, their code numbers, fee information

Must see etc.

- 3. Pre-fill the information related to you in the format of the application form (Annexure (1) given in the Instruction Booklet, so that it will be easy to enter the correct information while filling the online application form and verification without mistakes Will also avoid unnecessary troubles at the time of.
- 4. Applicant should write his name, father's name, mother's name, date of birth as mentioned in his mark list. Must check spelling.
- 5. The applicant should correctly enter the roll number, score and maximum marks of his qualifying examination.
- 6. The applicant should provide correct information about his/her caste category, minority status, original residence etc.
- 7. Applicant should fill his complete address correctly.
- 8. No modification will be possible in the entered information after verification.



- 9. Students should take special care while choosing colleges, so that they can be given admission in their respective colleges only.
- 10. Verification of documents will be done only for girl applicants in girls colleges.
- 11. Applicants will be able to select nine options in total from the college and course. The applicant can choose nine colleges or nine courses in the same college or so on, a maximum of nine options in total.
- 12. While filling the online application, the applicant has to create and enter a four digit Secret Key (any four digits from 0 to 9). Applicant must note down his registration number and secret key. Make the secret in such a way that it is easy to remember. To fill the remaining information in the application form or to change the information filled in future, one has to login with the registration number and secret key. A simple one the first time and every time you make a change in the future

The serial number (Version) will also be mentioned on the application form. Print the application form containing the simple number received at the time of last change and take it for verification in duplicate.

- 13. If you want to pay the registration fee of Rs.100 through challan, then at the time of filling the application you will have to print out a copy of the challan as well and submit the challan to the designated bank. 1 on payment of challan Rs. 20/- fee will be payable to the bank. Applicants will be able to participate in the admission process only after depositing the registration amount.
- 14. The prescribed registration fee can also be paid through internet banking.
- 15. Registration fee can be paid through the following banks

State Bank of India, Punjab National Bank, Central Bank, Bank of Baroda and Bank of India.

- 16. All government colleges of the state have been made Verification Centers to get the information entered in the online application submitted by the applicant verified with the original documents. By appearing in any government college, the applicant will have to compulsorily get his documents verified by June 22, 2013.
- 17. Applicants must be present at the nearest verification center for verification with all their original certificates like mark sheet, caste cadre, native, NCC/NSS sports etc.



- 18. On verification of all the documents, the certification authority will provide one copy of the application form submitted by the applicant as proof of verification to the applicant. Both the certification officer and the applicant have to sign these copies. One copy along with the photocopy of all the documents will be retained by the certifying authority.
- 19. Retain the attested copy. Submit it at the time of verification in the allotted college at the time of admission.

It will be mandatory to present all the documents and other documents related to eligibility. College will refuse to give admission if they do not fulfill the qualification. 20. With the help of his/her registration number and secret key, the applicant will be able to log in to the portal.

Will be able to get information about the documents being verified online. applicant as proof

You can also take printout.

- 21. On not getting the documents verified till the last date or paying the prescribed fee for registration, the application will automatically be canceled and the applicant will be out of the admission process. No
- 22. If the applicant finds error at the time of verification or does not submit the required documents

The Certifying Officer will take the objection. In this situation the applicant himself has to go to any internet cafe or

With the help of the help center located in the college, the application form will have to be printed again in two copies and present for re-verification.

- 23. Must complete the work of registration and verification of documents by the last date.
- 24. One time registration fee of Rs. 100/- to be paid.
- 25. Applicant should not do more than one registration. Any type of error or correction in preferences can be done online before verification. Never do multiple registrations, if it is found, the registration can be canceled and the applicant himself will be responsible for it.
- 26. If any mistake is found at the time of verification, the applicant himself will have to correct it online and go for re-verification. Therefore, applicants should enter the information very carefully while filling the online application form and check it properly.



- 27. Due to giving wrong information by the applicant, the entire responsibility of discrepancy in allotment will be of the applicant and it will not be possible to make amendment after verification.
- 28. Admission of applicants not fulfilling the eligibility at the time of admission will be invalidated by the college.
- 29. The process of admission will be complete only after the payment of admission fee. to the admitted applicants through their online

As proof of reporting of admission, the college will provide Online Admission Slip. so the applicant

Make sure to get your Online Admission Slip.

- 30. After allotment, not fulfilling the eligibility requirements at the time of admission, not submitting the original documents as per the undertaking within the prescribed time period / not paying the admission fee within the prescribed time period / submitting the required affidavit (applicants from MP and other states) The admissions of the applicants who do not do so will automatically be considered cancelled.
- 31. Some universities/institutes/colleges award grade points instead of marks. If the formula for calculating marks equivalent to grade point is mentioned in the applicant's graduation/post graduation mark sheet, then enter the grade in the column only after converting it into marks, otherwise mention the grade point and fill the scale in the score column. For example, if the grade is 3.5 in the scale of 5, then enter 35 in the score and 5 in the integer.
- 32. At the time of admission, it is mandatory to present the certificate of being displaced from Jammu and Kashmir and their dependent.
- 33. Police verification is mandatory at the time of admission for applicants from other states. Special admission is given on the basis of certificates as follows surcharge. last four for overload

Only the certificates earned in selections will be accepted and if there is more than one surcharge, the maximum

Only the possession certificate will be accepted.

(See Annexure 9 for details.)

N. CC/N. s. s. / Scout / Red Cross / Judo Karate / Various Sports / Cultural / Literary / Vivis /

J.N.S. Govt. PG College Majalour, Distt. Shajapur (M.P.)



Design Competitions / Inter District / Divisional Level Competitions organized by School Education Department or Inter Divisional / Area Level Competitions organized by C.B. s. Organized by E. / Organized by School Education Department or C.B. s. Inter regional / national level competitions organized by E. or regional competitions organized by the Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India / Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India Participation in national competitions / Science under Youth / Science and Cultural Exchange Program between India and other countries /Certificate of selection/participation in cultural/literary/art field/M. Q. National competitions organized by government recognized sports federations / Displaced persons of Jammu and Kashmir and their dependents

.N.S. Govt. PG College malpur Distt. Shajapur (M.P.)

**Board Name** 

Result of Exam

MP Board/CBSE Board/ICSE Board/Other Board

Pass/Supplementary

Subject Group

Science (Maths)/Science (Bio)/Arts/Commerce/Home Science/

Agriculture/Professional Courses

**Blood Group** 

A+ / A / B+ / B / AB+ / AB /O+/0/ Not Known

Category

GEN/SC/ST/OBC (Non-Creamy)/GEN-OBC (Creamy)

Non-Minority/Muslim/Christian/Sikh/Parsi/Baudha

Minority/Non-Minority

Residence

MP/J & K Migrant/Other State:

, Special Class (Cadre)



None/Handicapped/FF/Salnik/ FF-Handicapped/Sainik - Handicapped/ Sainik Widow and dependent of Martyrs during war/ Sainik - Handicapped Sainik during war and dependent/Salnik - Dependent of Martyrs during peace / Sainik Handicapped Sainik during peace and dependent / Sainik- Gallantry Awardees / Sainik Dependent of Ex-Sainik / Sainik Dependent of On Duty Salnik

1. The list of certificates required at the time of verification/admission is as under -

Must bring a copy, after verification

Applicants along with the original certificates, each of their photocopies of the original certificates will be returned immediately. > Original marks list of the qualifying examination (In the absence of original marks list, internet mark list will be valid for verification, but on admission, the original mark list will have to be presented in the admitted college within the stipulated time. In the absence of original marks, given at the time of admission receipt of the outgoing letter

(Annexure - 2)

• Class 10th mark sheet (for date of birth).

In the absence of original transfer certificate (TC) at the time of admission, provisional admission will be valid on the basis of the undertaking (Annexure 3) to be given at the time of admission, but the original transfer certificate will be valid for admission within the prescribed time period. Will have to be submitted in the college otherwise the admission will automatically be cancelled.

Character certificate at the time of admission.

caste certificate.

Income certificate (for OBC, non-creamy layer).

- > Cadre (Disabled / Freedom Fighter / Soldier) Certificate. > Gap certificate (affidavit) in case of gap in studies, at the time of admission
- > Higher Education Department, M.P. Certificate of being son/daughter of working regular employees of
- > Certificate regarding receipt of surcharge for admission (see Annexure-8 for details) Eligibility certificate of the University at the time of admission.



Migration certificate at the time of admission.

> Certificate of displacement of Jammu and Kashmir and their dependent at the time of admission.

> Police Verification for other state applicants at the time of admission (Annexure - 6)

Proof of registration fee payment through Challan / Internet Banking (after verification of tip payment

Might as well.)

> Employer's certificate on overall service of the state. If there is any case registered against the applicant in any court/police station at the time of admission

details thereof.

> At the time of admission, against the applicant in the past for indiscipline / misconduct / ragging / copying case / criminal act of court / college proceedings (complete details |

Various formats for applicants

Annexure - 1: Format of Application Form

Annexure 2 Undertaking in the absence of the original mark sheet of the qualifying examination -

Annexure - 3: Undertaking in the absence of original Transfer Certificate

Annexure - 4 Declarations of the Applicant

Annexure 5 Declaration of the parent or legal guardian

Annexure 6 Police Verification for Out-of-State Applicants

Annexure 7 Police Verification Form for outstation students

Annexure-8: Format of affidavit to be given in case of gap in studies.

Annexure – 9: List of certificates regarding receipt of surcharge for admission

J.N.S. Govt. PG College Majalpur, Distt. Shajapur (M.P.)



Policy Document for E-Admission, Process Conline Admission).



कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल

# ऑनलाइन प्रवेश सत्र 2013–14

प्रथम सेमेस्टर में ऑनलाइन प्रवेश हेंतु आवेदकों के लिए

# निद्ध प्रित्न



कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.) फोनः 0755—2554763, 2551698 फैक्सः 0755—2551573 https://www.mphighereducation.nic.in www.highereducation.mp.gov.in

शिक्षा की सार्थकता आचरण में है।



# प्रदेश के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में ऑनलाईन प्रवेश हेतु इच्छुक आवेदकों के लिए निर्देश पुस्तिका

शैक्षणिक सत्र 2013 —14 हेतु जारी अकादिमक कैलेंडर का पालन सुनिश्चित करते हुए मध्यप्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में रनातक एवं रनातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु निष्पक्ष, पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध ऑनलाइन केन्द्रीय प्रवेश प्रक्रिया एन. आई. सी. के तकनीकी सहयोग से लागू की गई है। इसके अंतर्गत रनातक/रनातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु इच्छुक आवेदक प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। ऑन लाइन प्रवेश आवेदन करने से पूर्व आवेदक इस निर्देश पुस्तिका का भलीभाँति अध्ययन कर लें, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।

उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल http://mphighereducation.nic.in पर आवेदकों के लिये ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध हैं। महाविद्यालयों एवं उनमें संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पंजीयन (Registration) तथा इसके पश्चात् दस्तावेजों का सत्यापन (Document verification) कराना होगा। आवेदक को सर्वप्रथम अपना आवेदन ऑनलाइन भरना होगा तथा इसके बाद ऑनलाइन चालान प्राप्त कर अथवा इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा रु. 100/— पंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा। तत्पश्चात् प्रदेश के किसी भी शासकीय महाविद्यालय में जाकर अपने समस्त आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराने/ पंजीयन शुल्क जमा नहीं कराने पर आवेदन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

आवेदक इंटरनेट के माध्यम से अपने घर, शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में स्थित सहायता केन्द्रों (Help Centres) अथवा किसी भी इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑन लाइन आवेदन पत्र मर सकते हैं। महाविद्यालयों में स्थित सहायता केन्द्रों पर शुल्क रु. 10/— का भुगतान करने पर आवेदन भरने की सुविधा उपलब्ध है। विभाग द्वारा किसी भी ऐजेंसी को इस कार्य हेतु अधिकृत नहीं किया गया है।

आवेदन भरने से पूर्व आवेदक "प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांत 2013—14" जो विभाग की वेब साइट www.highereducation.mp.gov.in एवं पोर्टल पर उपलब्ध है, का अध्ययन भलीभाँति कर लूंं, जिससे उन्हें आवेदन भरने में आसानी होगी।

जिलेवार महाविद्यालय, उनमें संचालित पाठ्यक्रमों, उनके कोड नंबर, उपलब्ध सीट्स एवं शुल्क इत्यादि जानकारियाँ भी पोर्टल पर उपलब्ध है। आवेदक महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम का चयन बहुत सोच समझ कर करें। अपने से संबंधित समस्त आवश्यक दस्तावेजों को पूर्व से ही तैयार रखें।

ऑनलाइन पंजीयन एवं दस्तावेजों के सत्यापन के आधार मात्र से ही किसी प्रत्याशी को प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा अपितु प्रवेश के समय आवेदक के अपेक्षित मूल प्रमाणपत्र पूर्णतः सही एवं नियमानुसार पाए जाने पर ही प्रवेश की पात्रता होगी। अतः ऑनलाइन पंजीयन करने के पूर्व आवेदक "प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांत 2013–14" एवं संबंधित विश्वविद्यालय से सुनिश्चित कर लें कि वह प्रवेश की पात्रता/योग्यता रखता है अथवा नहीं।

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, गुणानुक्रम एवं आवेदकों द्वारा प्रस्तुत वरीयता के आधार पर होगी। आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व आवश्यक समस्त जानकारियाँ ऑनलाइन मॉड्यूल से प्राप्त कर सकते हैं।



- 2. आवेदक पोर्टल http://mphighereducation.nic.in के Counselling Menu पर क्लिक करें जिससे आवेदक ऑन लाइन आवेदन भर सकेते हैं। ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व Main Menu पर क्लिक कर विभिन्न लिंक द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज करने संबंधी अन्य समस्त वांछित जानकारियाँ जैसे महाविद्यालयों एवं उनमें पढाये जाने वाले पाठ्यक्रमों की जानकारी, उनके कोड नंबर, प्रवेश हेतु अधिमार प्राप्त करने संबंधी प्रमाण पत्रों की जानकारी एवं देय अधिमार, उनके कोड नंबर, शुल्क की जानकारी इत्यादि अवश्य देख लें।
- 3. निर्देश पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र के प्रारुप (संलग्नक 1) में अपने से संबंधित जानकारियाँ पूर्व से ही भर लें जिससे ऑन—लाइन आवेदन पत्र भरते समय सही—सही जानकारियाँ प्रविष्ट करने में आसानी होगी एवं गुलतियाँ नहीं होने से सत्यापन के समय अनावश्यक परेशानियों से भी बचेंगे।
- 4. आवेदक अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि अपनी अंकसूची में अंकित अनुसार ही लिखें। Spelling अवश्य Check करें।
- 5. आवेदक अपनी अर्हताकारी परीक्षा का रोल नंबर, प्राप्तांक एवं अधिकतम अंकों की प्रविष्टि सही-सही करें।
- 6. आवेदक अपनी जाति, संवर्ग, अल्पसंख्यक दर्जा, मूल निवास आदि की जानकारी सही-सही भरें।
- 7. आवेदक अपना सम्पूर्ण पता सही-सही भरें।
- सत्यापन के पश्चात् दर्ज़ जानकारियों में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा।
- 9. <u>छात्र / छात्राएं महाविद्यालयों का चयन करते समय विशेष सावधानी रखें, जिससे उन्हें उनसे संबंधित</u> महाविद्यालयों में ही प्रवेश दिया जा सके।
- 10. कन्या महाविद्यालयों में सिर्फ कन्या आवेदकों के ही दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य होगा।
- 11. आवेदक महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम में से कुल मिला कर नौ विकल्पों का चयन कर सकेंगे। आवेदक नौ महाविद्यालय अथवा एक ही महाविद्यालय में नौ पाठ्यक्रम अथवा इसी तरह कुल मिलाकर अधिकतम नौ विकल्प का चयन कर सकता है।
- 12. ऑन लाइन आवेदन भरते समय आवेदक को चार अंकों की सिक्रेट कुंजी (Secret Key) ( 0 से लेकर 9 तक कोई भी चार अंक) बनाकर दर्ज़ करना होगी। आवेदक अपना पंजीयन क्रमांक एवं सिक्रेट की को अवश्य नोट कर लें। सिक्रेट की इस प्रकार बनायें कि उसे याद रखना आसान हो। आवेदन पत्र में शेष जानकारियाँ भरने अथवा भविष्य में भरी गई जानकारियों में परिवर्तन करने के लिए पंजीयन क्रमांक एवं सिक्रेट की से लॉगइन करना होगा। प्रथम बार एवं भविष्य में परिवर्तन करने पर हर बार एक सरल



- क्रमांक (Version) भी आवेदन पत्र पर दर्ज होगा। अंतिम बार किये गये परिवर्तन के समय प्राप्त सरल क्रमांक युक्त आवेदन पत्र को दो प्रतियों में प्रिंट कर सत्यापन के लिए ले कर जावें।
- 13. रु.100 पंजीयन शुल्क का भुगतान यदि चालान से करना चाहते हो तब आवेदन भरते समय ही चालान की एक प्रति की भी प्रिंट आउट लेना होगा तथा चालान निर्दिष्ट बैंक में जाकर जमा कर दें। चालान से भुगतान करने पर रु. 20/- शुल्क बैंक को देय होगा। पंजीयन राशि जमा होने के पश्चात् ही आवेदक प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे।
- 14. निर्धारित पंजीयन शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं।
- 15. पंजीयन शुल्क का भुगतान निम्न बैंकों के माध्यम से किया जा सकता है —
  स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेन्ट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं बैंक ऑफ इंडिया ।
- 16. आवेदक द्वारा प्रस्तुत ऑन—लाइन आवेदन में दर्ज जानकारियों का मूल दस्तावेजों से सत्यापन करवाने के लिए प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों को सत्यापन केन्द्र (Verification Centres) बनाया गया है। किसी भी शासकीय महाविद्यालय में उपस्थित होकर आवेदक को अपने दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्यतः दिनांक 22 जून, 2013 तक करवाना होगा।
- 17. आवेदक अपने सभी मूल प्रमाणपत्रों जैसे अंकसूची, जाति, संवर्ग, मूल निवासी, एनसीसी/एनएसएस, खेलकूद इत्यादि एवं उनकी एक—एक छायाप्रति के साथ सत्यापन हेतु नज़दीकी सत्यापन केन्द्र पर निर्धारित अंतिम तिथि तक अनिवार्यतः उपस्थित हों।
- 18. सभी दस्तावेजों के सत्यापन होने पर प्रमाणीकरण अधिकारी सत्यापन के प्रमाण स्वरुप आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की दो प्रति में से एक प्रति आवेदक को प्रदान करेंगे। इन प्रतियों पर प्रमाणीकरण अधिकारी एवं आवेदक दोनों को ही हस्ताक्षर करना होंगे। एक प्रति सभी दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ प्रमाणीकरण अधिकारी अपने पास रखेंगे।
- 19. सत्यापित प्रति को संभालकर रखें। इसे प्रवेश के समय आवंटित महाविद्यालय में सत्यापन के समय प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों एवं अर्हता संबंधी अन्य दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अर्हता पूर्ण नहीं करने पर महाविद्यालय प्रवेश देने से मना कर देंगे।
- 20. आवेदक अपने पंजीयन क्रमांक एवं सिक्रेट कुंजी (Secret Key) की सहायता से पोर्टल पर अपने दस्तावेजों के ऑन-लाइन सत्यापित होने की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आवेदक प्रमाण स्वरुप इसका प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
- 21. अंतिम तिथि तक दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराने अथवा पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं करने पर पर आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं आवेदक प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जावेगा।
- 22. आवेदक के द्वारा सत्यापन के समय त्रुटि पाये जाने अथवा वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करनें पर प्रमाणीकरण अधिकारी आपितत लेंगे। इस रिथिति में आवेदक को स्वयं किसी इंटरनेट कैंफे अथवा



महाविद्यालय में स्थित सहायता केन्द्र की मदद से निराकरण कर फिर से आवेदन पत्र को दो प्रतियों में प्रिंट कर पुनः सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा।

- 23. अंतिम तिथि तक पंजीयन एवं दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य अवश्य पूर्ण कर लें।
- 24. आवेदक को एक बार ही पंजीयन शुल्क रु. 100/- का भुगतान करना है।
- 25. आवेदक एक से अधिक पंजीयन न करें। सत्यापन के पूर्व किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा वरीयताओं में ऑन लाइन सुधार कर सकते हैं। एकाधिक पंजीयन कदापि न करें, ऐसा पाये जाने पर पंजीयन निरस्त किया जा सकता है एवं आवेदक स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होंगे।
- 26. सत्यापन के समय किसी भी प्रकार की गलती पाये जाने पर आवेदक को स्वयं ही इसे ऑन लाइन ठीक करके पुनः सत्यापन हेतु जाना होगा। अतः आवेदक ऑन—लाइन आवेदन पत्र भरते समय बहुत सावधानीपूर्वक जानकारियाँ प्रविष्ट करें एवं विधिवत् परीक्षण करलें।
- 27. आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने से आवंटन में विसंगति का संपूर्ण दायित्व आवेदक का होगा एवं सत्यापन उपरांत संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा।
- 28. प्रवेश के समय पात्रता पूर्ण नहीं करने वाले आवेदकों के प्रवेश महाविद्यालय द्वारा अमान्य होंगे।
- 29. प्रवेश शुल्क का भुगतान करने पर ही प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण होगी। प्रवेशित आवेदकों को उनके आनॅलाइन प्रवेश की रिपोर्टिंग के प्रमाण स्वरुप महाविद्यालय Online Admission Slip प्रदान करेंगे। अतः आवेदक अपनी Online Admission Slip अवश्य प्राप्त करें।
- 30. आवंटन पश्चात् प्रवेश के समय अर्हता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करने / निर्धारित समयाविध में वचन पत्रानुसार मूल दस्तावेज जमा नहीं कराने/निर्धारित समयाविध में प्रवेश शुल्क का भुगतान नहीं करने/आवश्यक शपथ पत्र (म. प्र. एवं बाह्य राज्यों के आवेदक) प्रस्तुत नहीं करने वाले आवेदकों के प्रवेश स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
- 31. कुछ विश्वविद्यालयों / संस्थानों / महाविद्यालयों द्वारा अंकों के स्थान पर ग्रेड पाईंट प्रदान किए जाते हैं। यदि आवेदक की स्नातक / स्नातकोत्तर की अंक सूची में ग्रेड पाईंट के समतुल्य अंकों की गणना करने का सूत्र वर्णित हो तो ग्रेड को अंकों में बदलकर ही कॉलम में पृविष्ट करें अन्यथा ग्रेड पाईन्ट का उल्लेख करें तथा प्राप्तांक कॉलम में स्केल भरें। उदाहरणार्थ : यदि ग्रेड 3.5 इन द स्केल ऑफ 5 हो तो प्राप्तांक में 3.5 तथा पूर्णींक में 5 पृविष्ट करें।
- 32. प्रवेश के समय जम्मू कश्मीर के विस्थापित एवं उनके आश्रित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 33. अन्य राज्य के आवेदकों के लिए प्रवेश के समय पुलिस सत्यापन अनिवार्य है।



- 34. 12वीं की परीक्षा में पूरक प्राप्त आवेदकों को भी प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक अपना ऑन —लाइन पंजीयन पोर्टल पर कराते हुए प्रावधिक प्रवेश लेना होगा। अनुत्तीर्ण होने पर नियमानुसार शुल्क वापस किया जावेगा।
- 35. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक आवेदकों को भी प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक अपना ऑन लाइन पंजीयन पोर्टल पर कराते हुए प्रावधिक प्रवेश लेना होगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हो जाने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर नियमानुसार शुल्क वापस किया जावेगा।
- 36. ज़िला मुख्यालय में एक से अधिक महाविद्यालय होने पर उत्कृष्ट घोषित महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए न्यूनतम प्राप्तांक 60 प्रतिशत अथवा अधिक होना चाहिए। आरक्षित वर्ग हेतु नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी। किन्तु कोई पाठ्यक्रम सिर्फ उत्कृष्ट घोषित महाविद्यालयों में ही संचालित होने पर न्यूनतम प्राप्तांक 60 प्रतिशत की सीमा लागू नहीं होगी।
- 37. संकाय परिवर्तन कर प्रवेश लेने वाले आवेदकों के 5% अंक कम कर गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा तथा अधिभार घटे हुए प्राप्तांक पर ही देय होगा।
- 38. अध्ययन में अंतराल होने पर शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।
- 39. प्रवेश के पश्चात् स्थान रिक्त रहने पर पात्रता एवं गुणानुक्रम के अनुसार विषय/संकाय/पाठ्यक्रम में परिवर्तन 31 जुलाई, 2013 तक किये जा सकेंगे।
- 40. आवेदकों की सहायता के लिए सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.) पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
- 41. आवेदन द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर पर एस. एम. एस. द्वारा कुछ सूचनाएँ दी जावेंगी। अतः आपके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले मोबाइल नंबर को ही प्रविष्ट करें। दो आवेदन पत्र में एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग नहीं करना हैं।
- 42. किन्हीं दो आवेदकों के प्राप्तांकों का प्रतिशत एक समान होने पर जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठ आवेदक को वरीयता दी जावेगी।
- 43. प्रवेश का निरस्तीकरण : प्रवेश प्राप्त होने के पश्चात भी यदि यह पाया गया कि कोई आवेदक गलत या असत्य जानकारी के आधार पर अथवा तथ्यों को छिपाने से या किसी त्रुटि या अनदेखी के कारण संस्था निरस्त कर कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा समस्त शुल्क राजसात कर लिया जावेगा।
- 44. आवेदक एवं उनके माता—िपता अथवा अभिभावक किसी के बहकावे में न आवें। प्रवेश संबंधी किसी भी जानकारी के लिए दूरमाष क्रमांक 0755—2551698, 2554763 पर संपर्क कर सकते हैं।



विशेष: निम्नानुसार प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रवेश हेतु अधिभार दिया जाता है। अधिभार हेतु विगत चार वर्षों में अर्जित प्रमाण पत्रों को ही मान्य किया जावेगा तथा एक से अधिक अधिभार होने पर अधिकतम अधिभार प्राप्त प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जावेगा।

( विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक - 9 देखें

एन. सी. भी./एन. एस. एस./स्काउट/रेड क्रास/जूडो कराटे/विभिन्न खेलकूद/सांस्कृतिक /साहित्यिक/विवज़/रुपांकन प्रतियोगिताएं/अंतर ज़िला / संभाग स्तर की प्रतियोगिताएं जो कि स्तूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित हो अथवा अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर की प्रतियोगिताएं जो कि सी. वी. एस. ई. द्वारा आयोजित की गई हो / स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अथवा सी. वी. एस. ई. द्वारा अंतर क्षेत्रीय/राष्ट्रीय आयोजित स्तर की प्रतियोगिताएं अथवा मंत्रालय संसदीय मामले भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिताएं / मंत्रालय संसदीय मामले भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी / भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ/साईंस तथा कल्वरल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत विज्ञान/ सांस्कृतिक /साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयन/भागीदारी का प्रमाण पत्र/म. प्र. शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं/ जम्मू कश्मीर के विरथापित एवं उनके आश्रित।

Board Name	MP Board / CBSE Board / ICSE Board / Other Board
Result of Exam	Pass / Supplementary
Subject Group	Science (Maths) / Science (Bio) / Arts / Commerce / Home Science / Agriculture / Professional Courses
Blood Group	A+ / A- / B+ / B- / AB+ / AB- / O+ / O - / Not Known
Category	GEN / SC / ST / OBC (Non-Creamy) / GEN-OBC (Creamy)
Minority / Non-Minority	Non-Minority / Muslim / Christian / Sikh / Parsi / Baudha
Domicile	MP / J & K Migrant / Other State
Special Class (संवर्ग)	None / Handicapped / FF / Sainik / FF-Handicapped / Sainik - Handicapped / Sainik - Widow and dependent of Martyrs during war/ Sainik - Handicapped Sainik during war and dependent / Sainik - Dependent of Martyrs during peace / Sainik - Handicapped Sainik during peace and dependent / Sainik - Gallantry Awardees / Sainik - Dependent of Ex-Sainik / Sainik - Dependent of On Duty Sainik





- सत्यापन/ प्रवेश के समय आवश्यक प्रमाण पत्रों की सूची निम्नानुसार है —
- आवेदक मूल प्रमाण पत्रों के साथ उनकी एक —एक छाया प्रति अयश्य लेकर आये, सत्यापन के पश्यात
- मूल प्रमाण पत्र तुरंत वापस कर विये जावेंगे।
  - अर्हताकारी परीक्षा की मूल अंक सूची । (मूल अंक सूची के अगाय में इंटरनेट की अंकसूवी सत्यापन हेतु मान्य होगी किन्तु प्रवेश होने पर निर्धारित रामयाविध में मूल अंक सूची प्रवेशित महाविद्यालय में प्रस्तुत करना होगी)। मूल अंक सूची के अभाव में प्रवेश के समय दिये जाने वाले वचन पत्र का प्रारुप (संलग्नक - 2)
  - कक्षा 10 वीं की अंक सूची (जन्म तिथि हेतु)।
  - प्रवेश के समय मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.)। मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश के समय दिये जाने वाले वचन पत्र (संलग्नक - 3) के आधार पर प्रावधिक प्रवेश मान्य होगा, किन्तु निर्धारित समयावधि में मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रवेशित महाविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।
  - चरित्र प्रमाण पत्र, प्रवेश के समय ।
  - जाति प्रमाण पत्र।
  - आय प्रमाण पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन-क्रीमी लेयर हेतु)।
  - संवर्ग (विकलांग / स्वतंत्रता संग्राम सैनानी / सैनिक) प्रमाण पत्र ।
  - अध्ययन में अंतराल होने पर अंतराल प्रमाण पत्र (एफिडेविट), प्रवेश के समय।
  - उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. के कार्यरत नियमित कर्मचारियों के पुत्र / पुत्री होने का प्रमाण पत्र ।
  - प्रवेश हेतु अधिभार प्राप्त करने संबंधी प्रमाण पत्र। (विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक 8 देखें)
  - प्रवेश के समय विश्वविद्यालय का पात्रता प्रमाण पत्र ।
  - प्रवेश के समय माइग्रेशन प्रमाण पत्र।
  - प्रवेश के समय जम्मू कश्मीर के विरथापित एवं उनके आश्रित होने का प्रमाण पत्र।
- प्रवेश के समय अन्य राज्य के आवेदकों के लिए पुलिस सत्यापन। (संलग्नक 6)
- चालान/इंटरनेट वैंकिंग द्वारा पंजीयन शुल्क गुगतान का प्रमाण। (टीप: भुगतान सत्यापन के पश्चात्
- प्रवेश के समय सेवारत होने पर नियोक्ता का प्रमाण पत्र ।
- प्रवेश के समय यदि किसी न्यायालय पुलिस थाने में आवेदक के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज है तो
- प्रवेश के समय आवेदक के विरूद्ध पूर्व में अनुशासनहीनता/दुराचार/रैगिंग/नकले का के किए के का प्रकरण/अपराधिक कृत्य के विरूद्ध की गई न्यायालयीन/महाविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही की



Govt. PG College Shujalpur, Distt. Shajapur (M.P.)

#### आवेदकों के लिए विभिन्न प्रारुप

संलग्नक - 1: आवेदन पत्र का प्रारुप

संलग्नक - 2: अर्हताकारी परीक्षा की मूल अंक सूची के अभाव में वचन पत्र

संलग्नक — 3: मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र के अभाव में वचन पत्र

संलग्नक - 4: आवेदक की घोषणाएँ

संलग्नक - 5: माता / पिता या वैध अभिभावक की घोषणा

संलग्नक - 6: बाह्य राज्य के आवेदकों के लिए पुलिस सत्यापन

संलग्नक - 7: बाह्य राज्यों के विद्यार्थियों हेतु पुलिस सत्यापन फार्म

संलग्नक — 8: अध्ययन में अंतराल होने पर दिये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारुप।

संलग्नक – 9: प्रवेश हेतु अधिभार प्राप्त करने संबंधी प्रमाण पत्रो की सूची



